प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

- **थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत जे.एस. यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री घोटाले का आरोप, कुलपति समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज।**
- **फर्जी डिग्री और अंकतालिका जारी करने के मामले में जे.एस. यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद के कुलपति समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने संगठित रूप से बड़ी धनराशि लेकर फर्जी दस्तावहज जारी किए, जिससे हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।**
- **शिकोहाबाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-169/25 धारा 318(4),336(3),338,340(2),111(2)B के अन्तर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है**

थाना शिकोहाबाद पर दिनांक 18-03-2025 को दीपांशु गिरी पुत्र अनिल गिरि निवासी मौहल्ला माता थाना डिबाई जिला बुलंदशहर ने तहरीर दी गयी कि वादी व उनके साथी रिंकू, सुभाष चंद्र, देवेंद्र, यशवीर सिंह और अरुण द्वारा जे.एस. यूनिवर्सिटी से बी.एस-सी (एग्रीकल्चर) में विभिन्न सेमेस्टर उत्तीर्ण किए थे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए अंक पत्रों की सत्यता को लेकर संदेह होने पर वह 18-03-2025 को अपने दस्तावेजों की जांच कराने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे। शिकायत के अनुसार, जब वह कृषि विभाग में दस्तावेजों की जांच करवाने गए तो उन्हें जबरन अंदर जाने से रोका गया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कृषि विभाग का ताला बंद कर दिया और मौके से फरार हो गये। छात्रों का आरोप है कि जे.एस. यूनिवर्सिटी के कुलपति सुकेश यादव, डायरेक्टर गौरव यादव, पीएस यादव, कृषि विभाग के एच.ओ.डी. उमेश मिश्रा, नंदन मिश्रा सहित अन्य स्टाफ ने संगठित रूप से छात्रों से मोटी रकम लेकर फर्जी अंकतालिकाएं तैयार कीं और जारी कीं है।

छात्रों ने दावा किया है कि विश्वविद्यालय में मानकों से कई गुना अधिक छात्रों को प्रवेश देकर फर्जी अंकतालिकाएं जारी की गईं। इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर फर्जीवाड़े के आरोप लग चुके हैं, और इस मामले में कुलपति सुकेश यादव व नंदन मिश्रा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
शिकोहाबाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जाएगी।